न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

सीमलवाडा जिला डुगंरपूर

पीठासीन अधिकारी :— अनिल कुमार जैन

प्रकरण सख्या:— 147 / 18 निर्णय दिनांकः—15.02.2021

1 श्री देवीलाल पिता लक्ष्मीनारायण जोशी जाति सेवक निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री कांतिलाल पिता पिता लक्ष्मीनारायण जोशी जाति सेवक निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री रमेशचन्द्र पिता लक्ष्मीनारायण जोशी जाति सेवक निवासी करावाडा तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।

वादीगण

बनाम

1 श्री बसु पिता भेमा जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
2 श्री कुरीया पिता भेमा जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
3 श्री कमलिया पिता भेमा जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
4 श्री बाबु पिता बसु जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
5 श्रीमति मणी पत्नि बसु जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
6 श्री जीगर पिता नानु जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
7 श्री अशोक पिता नानु जोगी जाति जोगी उम्र वयस्क निवासी पोहरी पटेलान तहसील झौथरीपाल जिला डूंगरपुर राजस्थान।
8 श्री मान भुमिधारी लेण्ड होल्डर तहसीलदार साहब तहसील सीमलवाडा जिला डुगंरपूर राज.।

प्रतिवादीगण

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 व 209 रा.टी. एक्ट,

सपठित धारा 151 जा.दी

उपस्थित :—श्री बालगोविन्द पाटीदार वादीगण की ओर से

श्री श्रवण रावल प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार हैकि वादीगण द्वारा एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण गांव करावाडा व प्रतिवादीगण संख्या एक से सात ग्राम पोहरीपटेलान के स्थायी निवासी है।

क्रमशः पेज 2 पर

वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मौजा पोहरीपटेलान में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 450, 453, 478, 1037, 1138/45, 1139/48, 1148/1090 के कुल रकबा 9.06 बीघा होकर स्थित है। आज से पन्द्रह दिन पुर्व वादीगण संख्या एक अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पोहरी पटेलान खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.09 बीघा भुमी मे बारिश होने से नवीन फसल बुवाई एवं खेत में साफ सफाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण संख्या एक से सात एकजुट होकर अनाधिकृत रुप से वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी भुमी में प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से काश्त करने मे रुकावट पैदा करने लगे। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन हडपने की कोशिश करने लगे। जिससे मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। प्रतिवादीगण को उक्त आराजी मे घुसने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादीगण धमकी देने लगे की उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे जिस पर वादीगण ने समझाईश करने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक से सात नही माने तथा जबरन वाद ग्रस्त जमीन मे अतिक्रमण करने लगा व जमीन हडपने की धमकी देने लगा। जिससे वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया जिससे म्याद अवधि मे वाद प्रस्तुत है जिससे वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वादग्रस्त भुमी वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण ने प्रतिवादी के पिता भेमा से दिनांक 23 अप्रैल 1976 कय कर प्रतिवादी के पिता ने रजिस्टी सम्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया था। वादग्रस्त भुमि पर वादीगण खातेदार काश्तकार होकर 40 साल से काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण उक्त वादीगण की कब्जे काश्त की भुमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आये दिन झगडा फंसाद करते है तथा वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा कर रहे है जिससे वादीगण को अपने कब्जे काश्त की भूमि पर काश्त करने एवं उपयोग उपभोग करने में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है।

प्रतिवादी संख्या एक से सात को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किये जाना आवश्यक हैकि वादीगण की खातेदारी आराजी ग्राम पोहरीपटेलान में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.09 बीघा में जबरन अतिक्रमण प्रतिवादीगण संख्या एक से सात न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावे। न ही वादीगण को उनकी खातेदारी आराजी मे काश्त करने मे रुकावट, प्रतिवादीगण संख्या एक से सात न तो स्वयं करे न ही अपने मित्र, एजेन्ट, परिवार व मजदुरो से करावे।

इस प्रकार वादी ने वाद प्रस्तुत कर दाद चाही है।

वादी द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने पर न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरीए नोटिस तलब किया गया।

क्रमशः पेज 3 पर

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 न्यायालय जरीए अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से उपस्थिति नहीं होने से एकफतरफा कार्यवाही की गई। 17.09.2019 प्रतिवादीगण की और से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने जवाब बंद किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य रखी गई।

वादीगण ने अपने समर्थन में निम्नलिखित मौखिक, लिखित दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए।

1 पीडब्लयु–1– श्री देवीलाल पिता लक्ष्मीनारायण जोशी जाति सेवक निवासी करावाडा

2 पीडब्लयु–2– श्री किशोरीलाल पाटीदार पिता नाथुजी पाटीदार निवासी करावाडा

1 प्रदर्श– 1 संवत 2072–2075 की हाल जमाबंदी

2 प्रदर्श– 2 दस्तावेज बेचाननामा

उक्त बयानो मे बताया की वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मौजा पोहरीपटेलान में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 450, 453, 478, 1037, 1138/45, 1139/48, 1148/1090 के कुल रकबा 9.06 बीघा होकर स्थित है। वादीगण अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पोहरी पटेलान खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.09 बीधा भुमी मे बारिश होने से नवीन फसल बुवाई एवं खेत में साफ सफाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण संख्या एक से सात एकजुट होकर अनाधिकृत रुप से वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी भुमी में प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से काश्त करने मे रुकावट पैदा करने लगे। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन हडपने की कोशिश करने लगे। जिससे मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। प्रतिवादीगण को उक्त आराजी मे घुसने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादीगण धमकी देने लगे की उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे जिस पर वादीगण ने समझाईश करने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक से सात नही माने तथा जबरन वाद ग्रस्त जमीन मे अतिक्रमण करने लगा व जमीन हडपने की धमकी देने लगा। वादग्रस्त भुमी वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण ने प्रतिवादी के पिता भेमा से दिनांक 23 अप्रैल 1976 कय कर प्रतिवादी के पिता ने रजिस्टी सम्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया था। वादग्रस्त भुमि पर वादीगण खातेदार काश्तकार होकर 40 साल से काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण उक्त वादीगण की कब्जे काश्त की भुमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आये दिन झगडा फंसाद करते है तथा वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा कर रहे है

क्रमशः पेज 4 पर

अतः प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम पोहरी पटेलान की आराजी सख्या 1037 रकबा 9 बिस्वा मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट मजदुरो से करावे खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को वादीगण के साक्षीयो से जिरह का अवसर दिया गया लेकिन जिरह से इन्कार किया जिससे जिरह बन्द की तथा वादीगण की साक्ष्य बन्द की प्रतिवादीगण ने साक्ष्य पेश नही करना चाहा जिससे प्रतिवादीगण साक्ष्य दिनांक 30.12.2020 को बंद की गई।

विद्वान अभिभाषको की बहस सुनी

वकील वादीगण ने वक्त बहस वाद में अंकित तथ्य को दौहराते हुए तर्क दिया की वादीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी मौजा पोहरीपटेलान में खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 450, 453, 478, 1037, 1138/45, 1139/48, 1148/1090 के कुल रकबा 9.06 बीघा होकर स्थित है। वादीगण अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा पोहरी पटेलान खाता संख्या 57 खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.09 बीधा भुमी मे बारिश होने से नवीन फसल बुवाई एवं खेत में साफ सफाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण संख्या एक से सात एकजुट होकर अनाधिकृत रुप से वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी भुमी में प्रवेश कर जबरन अतिक्रमण करने की नियत से काश्त करने मे रुकावट पैदा करने लगे। जिस पर वादीगण ने मना किया तो प्रतिवादीगण वादीगण की जमीन हडपने की कोशिश करने लगे। जिससे मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। वादग्रस्त आराजी वादीगण की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। प्रतिवादीगण को उक्त आराजी मे घुसने का कोई अधिकार नही है प्रतिवादीगण धमकी देने लगे की उक्त आराजी मे तो हम तुम्हे काश्त नहीं करने देंगे हम ही काश्त करेंगे जिस पर वादीगण ने समझाईश करने की कोशिश की लेकिन प्रतिवादीगण संख्या एक से सात नही माने तथा जबरन वाद ग्रस्त जमीन मे अतिक्रमण करने लगा व जमीन हड़पने की धमकी देने लगा। वादग्रस्त भुमी वादीगण के पिता लक्ष्मीनारायण ने प्रतिवादी के पिता भेमा से दिनांक 23 अप्रैल 1976 कय कर प्रतिवादी के पिता ने रजिस्टी सम्पादित कर कब्जा सुपुर्द किया था। वादग्रस्त भुमि पर वादीगण खातेदार काश्तकार होकर 40 साल से काश्त करते आ रहे है। प्रतिवादीगण उक्त वादीगण की कब्जे काश्त की भुमि पर अतिक्रमण करने की नियत से अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर आये दिन झगडा फंसाद करते है तथा वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा कर रहे है। मौजा पोहरी पटेलान की आराजी संख्या 1037 के कुल रकबा 0.09 बीधा में वादीगण के पिता का कय दिनांक से कब्जा मौके पर बना हुआ है। लेकिन प्रतिवादीगण आए दिन मौके पर आकर विवाद कर जबरन अतिक्रमण करने व जबरन हडपने की धमकी देता है। ऐसे में प्रतिवादीगण की जबरन अतिक्रमण से बेदखल कर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किया जाए।

क्रमशः पेज 5 पर

अतः प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जावे कि वे ग्राम पोहरी पटेलान की आराजी सख्या 1037 रकबा 9 बिस्वा मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट मजदुरो से करावे खातेदार काश्तकार धोषित किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने वाद खरीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभय वकील बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपस्थित साक्ष्य व दस्तावेजों का अवलोकन किया प्रदर्श 1 से 2 से साबित होता है कि वादग्रस्त आराजी का वादीगण खातेदार काश्तकार है। ओर खातेदारी काश्तकार अपने खातेदारी आराजी को सुरक्षित रखने व उपयोग उपभोग करने का अधिकारी है। तथा गवाहों के साक्ष्य यह साबित होता है। कि प्रतिवादीगण वादी की आराजी में जबरन कब्जा करने के लिए विवाद करते है। तथा वादीगण को काश्त में रूकावट पैदा करते है जबकि प्रतिवादीगण ने ना तो जवाब प्रस्तुत किया ना ही ऐसी कोई साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत किया जिससे वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण को कोई हक या कब्जा हो ऐसे में प्रतिवादीण को जरीए स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिए पाबन्द किया जाना उचित समझता हुं कि वे वादग्रस्त आराजी ग्राम पोहरी पटेलान की आराजी सख्या 1037 रकबा 9 बिस्वा मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट व मजदुरो से करावे ।

आदेश

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञाा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम पोहरी पटेलान की आराजी सख्या 1037 रकबा 9 बिस्वा मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिक्रमण न तो स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट मजदुरो से करावे नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अनिल कुमार जैन
उपखंड अधिकारी सीमलवाड़ा

डिक्री व मुकदमें की इब्तदाई

(ओ. 2 रू. 6–7 जाप्ता दीवानी)

(सिविल प्रोसीजरकोड, एपेन्डियस डी–1)

अज अदालत उपखंड अधिकारी सीमलवाडा मुकाम धम्बोला

इजलास श्री उपखंड अधिकारी अनिल कुमार जैन सीमलवाडा

श्री देवीलाल बनाम श्री बसु वगैरह

वादबाबतः–स्थायी निषेधाज्ञा 188 व 209 राज.टी. एक्ट एवं सपठित धारा 151 जा.दी

मुकदमानम्बरः–147 / 2018 ई. दी

यह मुकदमा याब वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू :–श्री अनिल कुमार जैन

व हाजरीः–श्री बालगोविन्द पाटीदार मिनजानिब मुदई श्रवण रावल व मिनजानिब मुदायलाह उपस्थिति होकर हुक्म दिया जाता है डिकी दी जाती है कि:–

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरीये स्थायी निषेधाज्ञा इस बात के लिये पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भुमि ग्राम पोहरी पटेलान की आराजी सख्या 1037 रकबा 9 बिस्वा मे वादीगण को काश्त करने मे रुकावट पैदा व जबरन अतिकमण न तो स्वंय करे न ही मित्र एजेन्ट मजदुरो से करावे।

रे दस्तखत व मुहर अदालत में आज दिनांक 15.02.2021 को जारी की गई

दस्तखत. उपखण्ड अधिकारी
ओहदा . सीमलवाडा

मुदई	रूपया / पैसा	मुदायलाह	रूपया / पैसा
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प व जेह सबुत म्हेनताना वकील फीस कमीश्नर खर्चा गवाहान बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी म्हेनतनामा वकील खर्चा गवाहान फिस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा